



प्रेस नोट

दिनांक 17.02.2025

थाना बिवांर पुलिस द्वारा अवैध तमंचा व कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद हमीरपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण व अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम आज दिनांक 17.02.2025 को थाना बिवांर पुलिस द्वारा अभियुक्त पवन यादव पुत्र सिद्ध यादव के पास से एक अदद तमंचा 315 बोर नाजायज व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज के साथ गिरफ्तार किया गया। जिसके आधार पर थाना बिवांर में मु0अ0सं0 23/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर वैधानिक कार्यवाही करते हुये माननीय न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

पवन यादव पुत्र सिद्ध यादव निवासी ग्राम छेडी बसायक थाना बिवांर जनपद हमीरपुर

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 260/19 धारा 354ख/452/504/506 IPC व 3(1)W, 3(2)VA SC/ST ACT

2. मु0अ0सं0 208/23 धारा 60 EX ACT

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. उ0नि0 मनोज कुमार शर्मा
2. उ0नि0 अंकित कुमार बैसला (प्रशिक्षु)
3. का0 राजेश कुमार यादव

